सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-5/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/2018-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2018**

विषय:- मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/ 2015, दिनांक 18 अक्टूबर,2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य–प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी सन्दर्भ में विधान सभा के द्वितीय सत्र,2018 में श्री सुखदेव राजभर, मा0 सदस्य,विधान सभा द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 सदस्यों को प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किये जाने का मामला सदन में उठाया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन की ओर से शासन के संसदीय कार्य विभाग (संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का

क्रमश:पृष्ठ-2

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.-का प्रस्तर-(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या- 5 / 2018 / 1037(1) / 90-सं0शि0प0का0 / 18-02(सं0शि0) / 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कौशलेन्द्र यादव
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in